

18-10-2024

पत्रावली प्राथीगण एवं वकील प्राथी के आवेदन पर शिगद से तलब की गई। प्रकरण में प्राथीगण एवं वकील प्राथी ने सा.पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्राथीगण व विपक्षीगण के मध्य आपसी राजीनामा ले जाने से प्राथीगण उक्त सा.पत्र में अपने कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं, इस आशय का सा.पत्र प्रस्तुत किया। प्राथीगण व वकील प्राथी द्वारा प्रस्तुत सा.पत्र का अवलोकन किया गया अहम पर मनन किया गया। प्रकरण में स्वयं प्राथीगण उक्त सा.पत्र में और कोई कार्यवाही नहीं चाहने से प्राथी का सा.पत्र की कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त की जाती है। प्रकरण में पूर्व में जारी एक पक्षीय अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 13-05-2023 को स्वतः निरस्त माना जावे। पत्रावली संसल शुमार दोहर दर्ज नंबर से कम हो।

नोपरोड
अनोपरोड

↓
अधिकारी पदेन
कलक्टर कार्ड